छापेमारी

निसर्ग रिसॉर्ट भी सील, प्रशासनिक छापेमारी में मिली गड़बड़ियां, आवासीय भूमि का व्यावसायिक उपयोग, गंदगी, अतिक्रमण, फायर एनओसी नहीं

पूर्व तहसीलदार का रिसॉर्ट-होटल में छापा, दोनों सील

जबलपुर। प्रशासन की संयुक्त टीमों ने पूर्व तहसीलदार के माढ़ोताल स्थित सुकून होटल बी एन्ड बी एवं घाना स्थित सुकून रिसॉर्ट में छापेमारी की। अचानक हुई कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। छापेमारी के दौरान मौके पर भारी गड़बड़ियां एवं अनियमितताएं मिली जिसके बाद दोनों को सील कर दिया गया है। सुकून होटल बी एन्ड बी आवासीय मद की भूमि थी जिसका व्यावसायिक उपयोग करने हो रहा था इसके अलावा होटल संचालन संबंधी अनुमति और फायर एनओसी नहीं थी। इसी प्रकार अन्य कार्रवाई में बरेला स्थित निसर्ग रिसॉर्ट को भी सील कर दिया गया है। प्रशासन की संयुक्त टीम में राजस्व, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं विद्युत विभाग के अधिकारी शामिल थे।

हेराफेरी कर संचालित हो रही थी होटल

एसडीएम आधारताल पंकज मिश्रा के अनुसार माढ़ोताल खसरा नंबर 51/2/5 की जिस 6 हजार 570 वर्गफुट भूमि पर सुकून होटल बी एन्ड बी संचालित है, वह गौतम हिरानी, आशा देवी हिरानी और गोविन्द हिरानी (प्रत्येक का हिस्सा 2 हजार 190 वर्गफुट) के नाम भूमि स्वामी हक में दर्ज है। इस भूमि पर मकान निर्मित है व अभिलेख में आवासीय मद में व्यपवर्तित है, जबकि इसका उपयोग व्यावसायिक रूप में किया जा रहा है। इस भूमि को पूर्व तहसीलदार विवेक त्रिपाठी द्वारा किराए पर लेकर होटल संचालित किया जा रहा है। होटल के मैनेजर सुशील

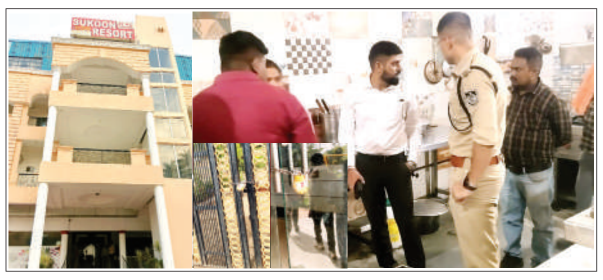

बिरहा द्वारा वर्तमान उपयोग के अनुरूप कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। होटल संचालन सबंधी अनुमति पत्र, फायर एवं अन्य दस्तावेज भी नहीं प्रस्तुत किये जा सके। मौका स्थल पर किराए का अनुबंध भी प्रदर्शित नहीं किया गया था। एसडीएम आधारताल के मुताबिक सुकून होटल बी एन्ड बी में सुरक्षा मानकों उपयोग नहीं किया जा रहा था। अग्निशमन यंत्र भी नहीं पाये गये। आपतकालीन निकासी की व्यवस्था भी इस होटल में नहीं थी।

अग्निशमन व्यवस्था नहीं, गंदगी मिली

एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह ने बताया कि निसर्ग रिसॉर्ट में केवल आंशिक भाग ही डायवर्टेड पाया गया था । इसके साथ ही रिसॉर्ट संचालक के पास फायर एनओसी नहीं थी और अग्निशमन के लिए भी कोई व्यवस्था भी नहीं पाई गई। निसर्ग रिसॉर्ट के किचन में गंदगी भी पाई गई थी। संयुक्त टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिसॉर्ट से खाद्य सामग्री के नमूने परीक्षण के लिए लिए गए हैं। इसी प्रकार एसडीएम जबलपुर अभिषेक सिंह ने बताया कि सुकून रिसॉर्ट के संचालक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर जीवित बहते हये नाले के प्रवाह को संकीर्ण कर दिया गया था। रिसॉर्ट का किचन अत्यंत बदबूदार और गंदा पाया गया। इसके साथ ही सुकून रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्री भी खुले में रखी पाई गई थी।

होटल में मचा था बवाल

विदि त हो कि गत दिवस होटल सुकून में बवाल मचा था। विशेष समुदाय के दो युवक, दो महिलाओं के साथ होटल में आपत्तिजनक हालत में मिले थे। हि न्दुवादी संगठन ने पहुंचकर हंगामा किया था । पुलिस ने युवकों, महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी । इस दौरान मारपीट भी हुई थी । बाद में पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया था ।

करंट से गई थी युवक की जान

बरेला स्थित निसर्ग वाटर पार्क में रविवार को करंट लगने से रांझी अंतर्गत बड़ा पत्थर झंडा चौक निवासी 21 वर्षीय साजन विश्वकर्मा की मौत हुई थी । वे 3 दोस्तों के साथ घूमने गया था। वाटर पार्क में मनोरंजन के दौरान साजन विश्वकर्मा वहां बनी फिसल पट्टी के पास पहुंचा, इसी दौरान फिसल पट्टी की लोहे की रैलिंग के पाइप में अचानक करंट फैल गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी । परिजनों ने मामले में लापरवाही का आरोप लगाया था।

ट्विशा शर्मा के पिता ने लगाई गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका

जबलपुर। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा की दहेज हत्या के अपराध में आरोपी सास तथा पूर्व भोपाल जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिवाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रदेश सरकार के साथ ट्विशा शर्मा के पिता ने भी हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ के द्वारा दोनों याचिकाओं पर सोमवार को संयुक्त रूप से सुनवाई की । सुनवाई के दौरान गिरिवाला सिंह के अधिवक्ता की तरफ से बताया गया कि शिकायतकर्ता की तरफ से दायर याचिका की कॉपी उन्हें नही मिली है। एकलपीठ ने अनावेदिका गिरिवाला सिंह को याचिका की कॉपी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी करते हुए एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 27 मई को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की तरफ से भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरिवाला सिंह को दहेज हत्या के अपराध में मिली अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा जमानत का मिलने पर वह साक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एकलपीठ को बताया कि गया था कि भोपाल की पूर्व सत्र व जिला न्यायाधीश की बहू त्विषा शर्मा की 12 मई को रात में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गयी थी। जिसका पोस्टमार्टम 13 मई को हुआ था। उन्होने 14 मई को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्हें अगले दिन न्यायालय ने अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया। सोमवार को याचिका की सुनवाई के दौरान अनावेदिका की तरफ से बताया गया कि प्रदेश सरकार की तरफ से दायर याचिका की कॉपी उन्हें मिल गयी है। शिकायतकर्ता की तरफ से दायर याचिका की कॉपी उन्हें नही मिली है। एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।

आरोपी से निभाई यारी, दो सिपाही सस्पेंड

शराब तस्कर को पुलिस वाहन की बजाए प्राइवेट वाहन से ले गए थे कोर्ट

जबलपुर। शराब तस्करी के मामले में आरोपित से यारी निभाने वाले दो पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने सस्पेंड कर लाइन हाजिर कर दिया है। आरक्षक और प्रधान आरक्षक आरोपी को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस वाहन की बजाए प्राइवेट वाहन से ले गए थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले की जांच एसडीओपी पाटन को सौंपी गई। इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सिपाहियों पर गाज गिर गई है।

पाटन एसडीओपी लोकेश डाबर ने बताया कि शहपुरा थाने में अवैश शराब मामले में पकड़े गये आरोपी को प्राइवेट कार से कोर्ट पशी पर ले जाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था मामले की जांच चल रही है। दो पुलिस जवानों को लाइन अटैच कर दिया गया है। आज मैं अपनी पूरी जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंप दूंगा।

क्या है मामला

विदित हो कि 14 मई की रात्रि शहपुरा पुलिस को शराब तस्करी की सूचना मिली। पुलिस ने ग्राम नटवारा बरगी अहरोरा तरफ ग्राम बरगी से पहले नहर पुलिया के पास घेराबंदी की। एक्सिस क्रमांक एमपी 20 जेड सी 1892 को रोका गया। चालक आकाश सिंह लोधी 22 वर्ष निवासी कनवास शहपुरा को पकड़ा गया था। एक्सिस स्कूटी के सामने दो बोरियों में कुल शराब 57 लीटर कुल कीमती लगभग 27000 रूपए की मिली थी। पूछताछ करने पर शराब को बेचने के लिए ग्राम डोभी अहरोरा तरफ जाना बताया था। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ आबकारी के एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।

रौब दिखाने वीडियो किया था वायरल

शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार आकाश को कोर्ट में पेश किया जाना था। जिसकी जिम्मेदारी थाने में पदस्थ आरक्षक ताराचंद चौधरी, प्रधान आरक्षक जयंत जाटव को सौंपी गई थी। नियमानुसार आरोपी को पुलिस वाहन से कोर्ट पेशी में ले जाना था लेकिन उसे प्राइवेट कार क्रमांक एमपी 09 सीडब्ल्यू 1554 में बैठाकर पाटन कोर्ट ले जाया गया था। आरोपी के साथियों का काफिला भी अन्य कारों से चल रहा था। सोशल मीडिया पर रौब दिखाने उन्होंने वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

जबलपुर-कोयम्बटूर और अगरतला स्पेशल भी होगी नियमित

जबलपुर, नवभारत। रेलवे ने जबलपुर-पुणे व जबलपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन को रेगुलर करने के बाद पश्चिम मध्य रेलवे की दो अन्य स्पेशल ट्रेनों जबलपुर-कोयम्बटूर व रानी कमलापति-अगरतला व्हाया जबलपुर को भी नियमित रूप से चलाने का निर्णय लिया है इसकी अनुमति रेलवे बोर्ड से मिल चुकी है शीघ्र ही इसे चलाया जायेगा नियमित संचालन होने पर नया नंबर रानी कमलापति अगरतला का स्पेशल ट्रेन नंबर 01665/66 की जगह रेगुलर नंबर 11665 एवं 11666 वहीं जबलपुर कोयंबटूर स्पेशल का नंबर 02198/97 की जगह पर नये नंबर 20160 एवं 20159 नये नंबर से दौड़ेंगी। इन दोनों ट्रेनों को जल्दी हरी झंडी मिलेगी। इस फैसले से यात्रियों को जीरो टैग की समस्या से राहत मिलेगी। जिससे इन ट्रेनों में यात्रा करने पर यत्रियों को लगने वाले अधिक किराये से भी निजात मिलेगी।

सामान्य रहेगा किराया

दरअसल, स्पेशल ट्रेनों पर जीरो नंबर टैग होने के कारण यात्रियों को अधिक किराया चुकाना पड़ता था। साथ ही समय-सारणी और सीट उपलब्धता को लेकर भी परेशानियां बनी रहती थीं। पश्चिम मध्य रेल द्वारा यात्रीभार और लगातार मिल रही मांग को देखते हुए ट्रेनों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रेगुलर ट्रेन का दर्जा मिलने के बाद यात्रियों को सामान्य किराया, बेहतर समय पालन और आरक्षण समय से रेल उपभोक्ता संगठन और जनप्रतिनिधि इस मांग को उठा रहे थे। रेलवे के इस फैसले को लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

पैतृक संपत्ति हड़पकर खोल लिए पेट्रोल पंप

ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर

जबलपुर। आर्थिक अपराध (ईओडब्ल्यू) ने जबलपुर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति हड़पकर पेट्रोल पंप हड़पने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।

जानकारी के अनुसार दीप्ति श्रीवास्तव निवासी स्नेह नगर, जबलपुर ने ईओडब्ल्यू में शिकायत कर बताया कि उनकी मर्जी और सहमति के बिना उनकी कानूनी मालिकाना हक वाली जमीनों पर अवैध रूप से दो बड़े पेट्रोल पंप संचालित किए जा रहे हैं। जिसमें रिलायबल ऑटो सर्विस सालीवाड़ा, मंडला रोड (इंडियन ऑयल) और तिलवारा, नागपुर रोड, जबलपुर हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उनके दादा मारुति राव इंगोले के नाम पर ग्राम जोतपुर ग्राम पंचायत घूंसौर में खसरा क्रमांक 160, 163, 168 और 169 की बेशकीमती जमीनें थीं। इसके अलावा राइट टाउन में नलिनी अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 1562 और मकान नंबर 1830/1 सहित कई अन्य पैतृक संपत्तियां थीं। आरोपी गौरव इंगोले ने इन सभी संपत्तियों के जाली और कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उनका अवैध रूप से अपने नाम पर नामांतरण करवा लिया। ईओडब्ल्यू ने पीड़िता दीप्ति श्रीवास्तव की शिकायत पर दो आरोपियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में पेट्रोलियम कंपनियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने आरोपी गौरव इंगोले और धीरज कराडे दोनों निवासी राइट टाउन के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाना, धोखाधड़ी और साजिश रचना की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है ।

रडार पर कई आरोपी

ईओडब्ल्यू की जांच में यह बात सामने आई है कि राजस्व अधिकारियों और पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना यह जालसाजी मुमकिन नहीं थी। आरोपियों ने पैतृक संपत्तियों को बेचकर जो नई संपत्तियां खरीदी हैं, ईओडब्ल्यू उनकी वित्तीय जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि कई संपत्तियों को फर्जी तरीके से नाम कराकर आगे बेच भी दिया गया है। इस मामले में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों और अन्य मददगारों को भी जल्द ही सह-आरोपी बनाया जाएगा।

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply | Also Available on: Flipkart amazon.in | इंस्टेंट डिस्काउंट ₹10 000^ तक | HDFC BANK | SBI card क्रेडिट कार्ड Powered by pine labs

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorized outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. World's no 1 disclaimer - Highest sales for any 2 Wheeler Corporate Entity in the world for Calendar Year 2025 Data source: DNA Consult & Advisory's report Assessment of Global Two Wheelers Market(CY25). Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. ^Basis data available in public forum for products in 100cc Motorcycle segment. *Limited period offer, T&C apply.*Ex-showroom price of HF Dlx kick variant in Madhya Pradesh. #T&C Apply.

TOLL FREE NO. 1800 266 0018

अधिकृत डीलरः जबलपुर: सुपर हीरो (साउथ सिविल लाईन्स) 9289922350, सुदर्शन हीरो (नेपियर टॉउन 9289922353, मदन महल 9111100352, दमोह नाका 9111100344), बालाघाट: जायसवाल हीरो 9289922572, छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, मण्डला: शुभा हीरो 9289922600, नरसिंहपुर: रचना हीरो 9289922377, रीवा: बद्रिका हीरो (टी.पी. नगर 9752263333, इलाहाबाद रोड 9171705391), सतना: स्टार हीरो 9289922356, बद्रिका हीरो 9289923108, शहडोल: विभोर हीरो 9289923109, गुप्ता हीरो 9289922370, कटनी: हर्ष हीरो 9289923166, वैढ़न: कुन्दन हीरो 9289922743, बजरंग मोटर्स 7354559000, सीधी: राजेन्द्र मोटर्स 9289923113, सिवनी: सुदर्शन हीरो 9821745435, चौरई: श्रीजी ऑटोमोबाईल्स, 9821749342, दमोह: इण्डिया ऑटो हीरो 9289922573, एसोशिएट डीलर: पथरिया: एसएस ऑटोमोबाइल्स, 9691147568, सेमरिया: आकाश मोटर्स 9893918358, अमरवाड़ा: अर्पित ऑटोमोबाईल्स 7428595943, ब्यौहारी: श्री राम ऑटोमोबाईल्स 9424683246, बुड़हार: श्री ऑटोमोबाईल्स 9425181937, डिंडोरी: अवधिया ऑटो 8959777333, नैनपुर: स्वास्तिक मोटर्स 9893746172, गाडरवाड़ा: शेखर व्हीकल्स 9425467409, जुन्नारदेव: लक्ष्मी नारायण मोटर्स 8109164000, कोतमा: सिटी ऑटोमोबाईल्स 7987519546, मैहर: वैशाली ऑटोमोबाईल्स 9424741022, मउगंज: सेंगर मोटर्स 9425185568, लांझी: श्रीखण्ड ऑटोमोबाईल्स 7428390262, पांढुरना: जय भवानी ऑटोमोबाईल्स 7428390263, परासिया: श्री महावीर ऑटोमोबाईल्स 7354460008, रामपुर बघेलान: साँई ऑटोमोबाईल्स 9993224296, रांझी: गुरूकृपा ऑटो 9424728007, सिहोरा: बाईक प्वांट 9826802730, उमरिया: गुप्ता ऑटो एजेन्सी 9285505630, वारासिवनी: रूसिया मोटर्स 9425822392, मुलताई: शारदा श्री मोटर्स 9522870001, चितरंगी: ओम मोटर्स 9685416118, बरगवां: बजरंग मोटर्स 9926183734, बहरी: श्याम एजेंसी 9981238133, बरही: अजीत ऑटोमोबाइल्स 7566217410, 9131739086, अनूपपुर: बाल गोविंद ऑटोव्हील्स 9770531138, 9770744844, नागोद: चौरसिया ऑटोमोबाइल्स 9926365074, देवसर: श्री राम मोटर्स 9425086868 अमरपाटन : रिशु ऑटोमोबाइल्स 9893829195, स्लीमनाबाद: अनिल मोटर्स 9425466101, रामनगर: विजय ऑटोमोबाईल्स 9893252517, धनोरा: भवानी व्हीकल्स 9424950703, सरई: यश मोटर्स, 9981718853, सालीचौका: अभिषेक इंटरप्राइजेज 8989434793, मड़वास: ओम मोटर्स, 9009066959, मझौली: न्यू कुन्दन ऑटोमोबाइल्स, 9584628677, खटखरी: खटखरी ऑटोमोबाइल, 9617241112, गुढ़: विंध्य मोटर्स, 9229072020, कोठी: लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स, 7987308294, 83058099514, उंचेहरा: अंकुर ऑटोमोबाइल्स, 9589176355, रामपुर नैकिन (सीधी): लक्ष्मी जी ऑटोमोबाइल्स, 9406782277, दुधमनिया सिंगरौली: राधा कृष्ण मोटर्स, 7000995137, गढ़: अंबे मोटर्स, 9144881695, बीरसिंहपुर: तनु ऑटोमोबाइल्स, 9425886424, देवतालाब: वर्षा मोटर्स, 9424622310, गुन्नौर: मधुबन मोटर्स, 8959050501, Hero Sure (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, नरसिंहपुर: रचना हीरो 8815396340, दमोह : इंडिया ऑटो सेंटर 8839230079.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57